

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक 2824 / मानदेय शिक्षक / 2026-27

कोरबा, दिनांक 20/6 / 2026

प्रति,

- (1) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकासखण्ड - कोरबा
- (2) सर्व, प्राचार्य,
शा.हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय,
विकासखण्ड - कोरबा

विषय :- मानदेय शिक्षक प्राथमिक शाला की व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कोरबा जिले अंतर्गत प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित है। अतः जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) मद से शर्तों के तहत मानदेय शिक्षक प्राथमिक शाला, शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन से रखा जाना है। अधोलिखित सारणी अनुसार संख्या में विद्यालय स्तर से 30 जून 2026 के पूर्व निर्देशानुसार मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे।


क्र.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	मानदेय शिक्षक मांग
1	2	3	4
1	कोरबा	प्रा०शा० कांटाबसाहट	1
2	कोरबा	प्रा०शा० फुटहामुडा	1
3	कोरबा	प्रा०शा० कुदरीपारा	1
4	कोरबा	प्रा०शा० टेवानारा	1
5	कोरबा	प्रा.शा.बनखेता	1
6	कोरबा	प्रा०शा० बैगामार	1
7	कोरबा	प्रा०शा० कुरूपाश	1
8	कोरबा	प्रा०शा० भदरापारा (पहन्दा)	1
9	कोरबा	प्रा.शा.रजगामार कॉलोनी	1
10	कोरबा	प्रा.शा.ओमपुर	1
11	कोरबा	प्रा०शा० मछरीबांटा	1
12	कोरबा	प्रा.शा.सिलयारीभांटा	1
13	कोरबा	प्रा०शा० बेलाकछार	1
14	कोरबा	प्रा०शा० कोलिहाडीह	1
15	कोरबा	प्रा०शा० नवाडीह	1
16	कोरबा	प्रा०शा० जुनाडीह बरपाली	1
17	कोरबा	प्रा०शा० उपरपारा चचिया	1
18	कोरबा	प्रा०शा० चिरा	1
19	कोरबा	प्रा०शा० डोगदरहा	1
20	कोरबा	प्रा०शा० चीतापाली	1

(Handwritten Signature)

21	कोरबा	प्रा०शा० बेंदरकीना	1
22	कोरबा	क.प्रा.शाला कोरबा	1
23	कोरबा	प्रा.शाला कन्या पुरानी बस्ती, कोरबा	2
24	कोरबा	प्रा०शा० कन्या कोरकोमा	1
25	कोरबा	प्रा०शा० केंरवा	1
26	कोरबा	प्रा०शा० तौलीपाली	1
27	कोरबा	प्रा०शा० अखरापाली	1
28	कोरबा	प्रा०शा० फायरकालोनी	1
29	कोरबा	प्रा.शा.कोलगा	1
30	कोरबा	प्रा०शा० छुईढोढा	1
31	कोरबा	प्रा०शा० जामबहार	2
32	कोरबा	प्रा०शा० उरगा	1
33	कोरबा	प्रा०शा० कुकरीचोली	1
34	कोरबा	प्रा०शा० बरीडीह	1
35	कोरबा	प्रा०शा० नवाडीह	1
36	कोरबा	प्रा०शा० कुरुडीह	1
37	कोरबा	प्रा०शा० धनगांव प्रा०शा० आश्रम धनगांव	1
38	कोरबा	प्रा०शा० फुलसरी	2
39	कोरबा	प्रा०शा० गोढी	1
40	कोरबा	प्रा.शा.नकटीखार	1
41	कोरबा	प्रा.शा.रिस्दी	1
42	कोरबा	प्रा०शा० राताखार	1
43	कोरबा	प्रा०शा० जिल्गा	1
44	कोरबा	प्रा०शा० कटकोना	1
45	कोरबा	प्रा०शा० देवरमाल	1
46	कोरबा	प्रा.शा.बेलगिरीनाला	1
47	कोरबा	प्रा०शा० चकपोस्ट	1
48	कोरबा	प्रा०शा० केराकछार	2
49	कोरबा	प्रा.शाला गेरवाघाट, प्रा०शा० आश्रम संतरेंगा	2
50	कोरबा	प्रा.शा.मोतिसागरपारा	2
51	कोरबा	प्रा.शा.सांचरबहार	1
52	कोरबा	प्रा.शा.सरसाडेवा	1
53	कोरबा	प्रा.शा.बरपात्री	1
54	कोरबा	प्रा.शा.देवपहरी	1
55	कोरबा	प्रा०शा० कोलिहाडीह	1
56	कोरबा	प्रा०शा० छापराभांठा	1
57	कोरबा		1
योग			64

शर्त -

1. गत वर्षों में जिला खनिज न्यास से नियोजित मानदेय शिक्षकों को गत वर्ष वाले विद्यालय में ही आवेदन करने एवं समान पद के लिए आवेदन दिये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
2. मूल निवासी - अभ्यर्थी/आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता - 12वीं उत्तीर्ण+डीएड/डीएलएड, टेट (प्राथमिक) उत्तीर्ण (वांछित व्यवसायिक योग्यता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवसायिक योग्यता में शिथलीकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. आयु - अभ्यर्थी के आवेदन दिनांक को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
5. चयन की प्रक्रिया - डीएड/डीएलएड अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर से चयनित किया जायेगा। डीएड अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी को दिये जानकारी के आधार पर किया जायेगा।
6. न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले आवेदक एक से अधिक होने पर नियमानुसार मेरिट क्रम में उच्चतम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार किया जाये।
7. नियुक्ति की वैधता - यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति 30 अप्रैल 2027 तक के लिए है अथवा नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर स्वतः ही व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
8. विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को डीएड/बीएड/टेट से छूट प्राप्त होगी।
9. यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः आवश्यकता अनुसार किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
10. मानदेय भुगतान - संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय शिक्षक की प्रमाणित उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
11. मानदेय शिक्षको को सार्वजनिक अवकाश अथवा पूर्व निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
12. दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होने पर मानदेय शिक्षक नहीं रखा जाएगा।
13. उक्त मानदेय शिक्षक को प्रतिमाह 11000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) मानदेय प्रदान किया जायेगा। अनुपस्थिति रहने पर अनुपातिक कटौती किया जायेगा।
14. उक्त मानदेय शिक्षक को कोई भी नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
15. इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 27.06.2026 तक संबंधित विद्यालय में स्व प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 30.06.2026 तक मानदेय शिक्षक का चयन कराकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से देंगे।



जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनांक 26/6/2026

पृ.क्र./2324 मानदेय शिक्षक/2026-27, | ()

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
5. अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को सूचनार्थ।
6. संबंधित प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/2322/मानदेय भृत्य/2026-27 /1

कोरबा, दिनांक : 26/ 6/ 2026

प्रति,

- (1) सर्व, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकासखण्ड - कोरबा
- (2) सर्व, प्राचार्य,
शा.हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय,
विकासखण्ड - कोरबा

विषय :- मानदेय शिक्षक माध्यमिक शाला की व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कोरबा जिले अंतर्गत माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित है। अतः जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) मद से शर्तों के तहत मानदेय शिक्षक माध्यमिक शाला, शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन से रखा जाना है। अधोलिखित सारणी अनुसार संख्या में विद्यालय स्तर से 30 जून 2026 के पूर्व निर्देशानुसार मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे।

क्र.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	शिक्षक का विषय	मानदेय शिक्षक मांग
1	2	3	4	5
1	कोरबा	मा.शा. आश्रम गढ़उपरोड़ा	गणित	1
2	कोरबा	मा.शा. जाताडाड़	गणित	1
3	कोरबा	मा.शा. कनसरा	अंग्रेजी/गणित	2
4	कोरबा	मा.शा. सोलवां	गणित	1
5	कोरबा	मा.शा. कन्या आश्रम श्यांग	गणित/अंग्रेजी	2
6	कोरबा	मा.शा. गुरमा	गणित	1
7	कोरबा	मा.शा. लबेद	विज्ञान	1
8	कोरबा	मा.शा. बरपाली	गणित विज्ञान	2
9	कोरबा	मा.शा. झगरहा	कला	1
10	कोरबा	मा.शा. गीतकुंवारी	गणित	1
11	कोरबा	मा.शा. कटबितला	गणित	1
12	कोरबा	मा.शा. सकदुकला	अंग्रेजी	1
13	कोरबा	मा.शा. पहंदा	गणित	1
14	कोरबा	मा.शा. फूलसरी	गणित	1
15	कोरबा	मा.शा. अजगरबहार	अंग्रेजी	1
16	कोरबा	मा.शा. दादरखुर्द	गणित	1
17	कोरबा	मा.शा. राताखार	अंग्रेजी/कला	2
18	कोरबा	मा.शा. मदनपुर	गणित	1
19	कोरबा	मा.शा. कुदरीचिंगार	विज्ञान	1
20	कोरबा	मा.शा. लेमरू	गणित	1
21	कोरबा	मा.शा. देवपहरी	विज्ञान	1
22	कोरबा	मा.शा. पताड़ी	विज्ञान/अंग्रेजी	2
23	कोरबा	मा.शा. चिरा	गणित	1
24	कोरबा	मा.शा. कुदुरमाल	अंग्रेजी	1
25	कोरबा	मा.शा. पुरानी बस्ती	विज्ञान	2
26	कोरबा	मा.शा. भिलाईखुर्द क्र.1	गणित	1
27	कोरबा	मा.शा. सोनपुरी	अंग्रेजी	1
28	कोरबा	मा.शा. ओमपुर	अंग्रेजी	1

(3)



29	कोरबा	मा.शा. चितापाली	गणित	1
30	कोरबा	मा.शा.पीएमश्री तिलकेजा	गणित/सा.वि.	2
योग				37

शर्तें -

- गत वर्षों में जिला खनिज न्यास से नियोजित मानदेय शिक्षकों को गत वर्ष वाले विद्यालय में ही आवेदन करने एवं समान पद के लिए आवेदन दिये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- मूल निवासी - अभ्यर्थी/आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता - संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण+बीएड, टेट (माध्यमिक) उत्तीर्ण (वांछित व्यवसायिक योग्यता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवसायिक योग्यता में शिथलीकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आयु - अभ्यर्थी के आवेदन दिनांक को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
- चयन की प्रक्रिया - बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर से चयनित किया जायेगा। बीएड अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी को दिये जानकारी के आधार पर किया जायेगा।
- न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले आवेदक एक से अधिक होने पर नियमानुसार मेरिट क्रम में उच्चतम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार किया जाये।
- नियुक्ति की वैधता - यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति 30 अप्रैल 2027 तक के लिए है अथवा नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर स्वतः ही व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
- विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को डीएड/बीएड/टेट से छूट प्राप्त होगी।
- यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः आवश्यकता अनुसार किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- मानदेय भुगतान - संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय शिक्षक की प्रमाणित उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
- मानदेय शिक्षकों को सार्वजनिक अवकाश अथवा पूर्व निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होने पर मानदेय शिक्षक नहीं रखा जाएगा।
- उक्त मानदेय शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
- उक्त मानदेय शिक्षक को प्रतिमाह 13000/- (तेरह हजार रुपये मात्र) मानदेय प्रदान किया जायेगा। अनुपस्थिति रहने पर अनुपातिक कटौती किया जायेगा।
- इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 27.06.2026 तक संबंधित विद्यालय में स्व प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 30.06.2026 तक मानदेय शिक्षक का चयन कराकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से देंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनांक 2/6/2026

पृ.क्र./2323/स्थापना 2/2026-27./1
प्रतिलिपि :-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
- जिला जनसंपर्क अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।
- अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, जिला कोरबा को सूचनार्थ।
- संबंधित प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक 2321 / मानदेय शिक्षक / 2026-27 / L

कोरबा, दिनांक : 20/6 / 2026

प्रति,

- (1) सर्व, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकासखण्ड - कोरबा
- (2) सर्व, प्राचार्य,
शा.हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय,
विकासखण्ड - कोरबा

विषय :- मानदेय शिक्षक हाई/हायर सेकेण्डरी की व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कोरबा जिले अंतर्गत हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में शिक्षकों की कमी के कारण पठन-पाठन कार्य प्रभावित है। अतः जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) मद से शर्तों के तहत मानदेय शिक्षक हाई/हायर सेकेण्डरी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन से रखा जाना है। अधोलिखित सारणी अनुसार संख्या में विद्यालय स्तर से 30 जून 2026 के पूर्व निर्देशानुसार मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे।


क्र.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	विषय	मानदेय शिक्षक मांग
1	2	3	4	5
1	कोरबा	हाईस्कूल फूलसरी	हिन्दी	1
2	कोरबा	हाईस्कूल फूलसरी	अंग्रेजी	1
3	कोरबा	हाईस्कूल फूलसरी	संस्कृत	1
4	कोरबा	हाईस्कूल कोहड़िया	सा.विज्ञान	1
5	कोरबा	उ.मा.वि. कुदुरमाल	कृषि	1
6	कोरबा	उ.मा.वि. कुदुरमाल	इतिहास/राजनीति	1
7	कोरबा	उ.मा.वि. कोरकोमा	अंग्रेजी	1
8	कोरबा	उ.मा.वि. कोरकोमा	इतिहास	1
9	कोरबा	हाईस्कूल गढ़उपरोड़ा	हिन्दी	1
10	कोरबा	हाईस्कूल गढ़उपरोड़ा	सा.विज्ञान	1
11	कोरबा	उ.मा.वि. बरपाली जिल्गा	हिन्दी	1
12	कोरबा	उ.मा.वि. बरपाली जिल्गा	राजनीति	1
13	कोरबा	उ.मा.वि. बरपाली जिल्गा	संस्कृत	1
14	कोरबा	उ.मा.वि. बरपाली जिल्गा	गणित	1
15	कोरबा	उ.मा.वि. बरपाली जिल्गा	सामाजिक विज्ञान	1
16	कोरबा	उ.मा.वि. कन्या बालको	राजनीति	1
17	कोरबा	उ.मा.वि. श्यांग	हिन्दी	1
18	कोरबा	उ.मा.वि. श्यांग	भूगोल	1
19	कोरबा	उ.मा.वि. कुदमुरा	हिन्दी	1
20	कोरबा	उ.मा.वि. चिरा	अर्थशास्त्र/भूगोल	1
21	कोरबा	उ.मा.वि. लेमरु	हिन्दी	1
22	कोरबा	उ.मा.वि. लेमरु	रसायन	1
23	कोरबा	उ.मा.वि. लेमरु	भौतिक	1
24	कोरबा	उ.मा.वि. लेमरु	भूगोल	1
25	कोरबा	उ.मा.वि. तिलाईडांड	अंग्रेजी	1
26	कोरबा	उ.मा.वि. चधिया	हिन्दी	1

(Handwritten Signature)

27	कोरबा	पीएमश्री तिलकेजा	अंग्रेजी	1
28	कोरबा	सेजेस पोडीबहार	अंग्रेजी	1
29	कोरबा	उ.मा.वि. कन्या साडा	गणित	1
30	कोरबा	उ.मा.वि. गोढ़ी	राजनीति	1
31	कोरबा	सेजेस बालको हिन्दी माध्यम	रसायन	1
32	कोरबा	सेजेस बालको हिन्दी माध्यम	जीव विज्ञान	1
33	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी हिन्दी माध्यम	हिन्दी	1
34	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी हिन्दी माध्यम	भौतिक	1
35	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी हिन्दी माध्यम	भूगोल	1
36	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी हिन्दी माध्यम	गणित	1
37	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी हिन्दी माध्यम	इतिहास	1
38	कोरबा	उ.मा.वि.भैसमा	हिन्दी	1
योग				38

शर्तें -

- गत वर्षों में जिला खनिज न्यास से नियोजित मानदेय शिक्षकों को गत वर्ष वाले विद्यालय में ही आवेदन करने एवं समान पद के लिए आवेदन दिये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- मूल निवासी - अभ्यर्थी/आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता - संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण+बीएड उत्तीर्ण (वांछित व्यवसायिक योग्यता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवसायिक योग्यता में शिथलीकरण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आयु - अभ्यर्थी के आवेदन दिनांक को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
- चयन की प्रक्रिया - बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर से चयनित किया जायेगा। बीएड अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार अप्रशिक्षित अभ्यर्थी को भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी को दिये जानकारी के आधार पर किया जायेगा।
- न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले आवेदक एक से अधिक होने पर नियमानुसार मेरिट क्रम में उच्चतम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार किया जाये।
- नियुक्ति की वैधता - यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति 30 अप्रैल 2027 तक के लिए है अथवा नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर स्वतः ही व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
- विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को डीएड/बीएड/टेट से छूट प्राप्त होगी।
- यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः आवश्यकता अनुसार किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- मानदेय भुगतान - संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय शिक्षक की प्रमाणित उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
- मानदेय शिक्षकों को सार्वजनिक अवकाश अथवा पूर्व निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होने पर मानदेय शिक्षक नहीं रखा जाएगा।
- उक्त मानदेय शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
- उक्त मानदेय शिक्षक को प्रतिमाह 15000/- (तेरह हजार रुपये मात्र) मानदेय प्रदान किया जायेगा। अनुपस्थिति रहने पर अनुपातिक कटौती किया जायेगा।
- इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 27.06.2026 तक संबंधित विद्यालय में स्व प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 30.06.2026 तक मानदेय शिक्षक का चयन कराकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से देंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. जिला जनसंपर्क अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
5. अध्यक्ष,शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, जिला कोरबा को सूचनार्थ।



जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा

जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/२३२०/मानदेय भृत्य/२०२६-२७/१

कोरबा, दिनांक : २०/६/२०२६

प्रति,

- (१) सर्व, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकासखण्ड - कोरबा
- (२) सर्व, प्राचार्य,
शा.हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय,
विकासखण्ड - कोरबा

विषय :-

मानदेय भृत्य व्यवस्था के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ में कोरबा जिले अंतर्गत हाई/हायर एवं माध्यमिक शालाओं में भृत्य की कमी के कारण साफ-सफाई एवं कार्यालयीन व्यवस्था संबंधी कार्य प्रभावित है। अतः जिला खनिज न्यास संस्थान (DMF) मद से शर्तो के तहत मानदेय भृत्य शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन से रखा जाना है। अधोलिखित सारणी अनुसार संख्या में विद्यालय स्तर से ३० जून २०२६ के पूर्व निर्देशानुसार मानदेय भृत्य की व्यवस्था सुनिश्चित कराकर इस कार्यालय को अवगत करावे।

स.क.	विकासखण्ड	स्कूल का नाम	मानदेय भृत्य मांग
1	2	3	4
1	कोरबा	मा.शा. जिल्हा	1
2	कोरबा	मा.शा. कन्या आश्रम श्यांग	1
3	कोरबा	मा.शा. कुदमुरा आश्रम	1
4	कोरबा	मा.शा. कुदुरमाल	1
5	कोरबा	मा.शा. पहंदा	1
6	कोरबा	उ.मा.वि. कुदुरमाल	1
7	कोरबा	हाईस्कूल गढ़उपरोड़ा	1
8	कोरबा	हाईस्कूल सीतामणी	1
9	कोरबा	हाईस्कूल सतरेंगा	1
10	कोरबा	हाईस्कूल सोनपुरी	1
11	कोरबा	सेजेस पंपहाउस	2
12	कोरबा	हाईस्कूल तिलाईडांड	1
13	कोरबा	हाईस्कूल लेमरु	1
14	कोरबा	हाईस्कूल चचिया	1
15	कोरबा	उ.मा.वि. बालक बालको	1
16	कोरबा	उ.मा.वि. उरगा	1
17	कोरबा	हाईस्कूल पोंडीबहार	1
18	कोरबा	सेजेस एनसीडीसी	1
19	कोरबा	हाईस्कूल दादरखुर्द	1
20	कोरबा	उ.मा.वि. कोरबा	1
21	कोरबा	हाईस्कूल फूलसरी	1
22	कोरबा	उ.मा.वि. चिरा	2
23	कोरबा	सेजेस रुमगरा	1
24	कोरबा	सेजेस कुदमुरा	1
25	कोरबा	उ.मा.वि. कन्या बालको	1
26	कोरबा	उ.मा.वि. कन्या साडा	1
27	कोरबा	हाईस्कूल पताढी	1
28	कोरबा	मा.शा. फूलसरी	1

29	कोरबा	सेजेस बरपाली	1
30	कोरबा	हाई स्कूल बुंदेली	1
31	कोरबा	उ.मा.वि. मदनपुर	2
32	कोरबा	उ.मा.वि.जिल्हा बरपाली	1
योग			35

शर्तें -

- गत वर्षों में जिला खनिज न्यास से नियोजित मानदेय भृत्यों को गत वर्ष वाले विद्यालय में ही आवेदन करने एवं समान पद के लिए आवेदन दिये जाने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- मूल निवासी - अभ्यर्थी/आवेदक को कोरबा जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता - 8वीं उत्तीर्ण
- आयु - अभ्यर्थी के आवेदन दिनांक को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
- चयन की प्रक्रिया - अभ्यर्थियों की प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/विकासखण्ड तथा जिला स्तर से चयनित किया जाय।
- न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले आवेदक एक से अधिक होने पर नियमानुसार मेरिट क्रम में उच्चतम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन नियमानुसार किया जायें।
- नियुक्ति की वैधता - यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति 30 अप्रैल 2027 तक के लिए है अथवा नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर स्वतः ही व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।
- यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अतः आवश्यकता अनुसार किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- मानदेय भुगतान - संस्था प्रमुख द्वारा मानदेय भृत्य की प्रमाणित उपस्थिति पंजी पृथक से संधारित किया जायेगा एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
- मानदेय भृत्य को सार्वजनिक अवकाश अथवा पूर्व निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
- विज्ञापित पदों पर पद भरे होने पर मानदेय भृत्य नहीं रखा जाएगा।
- उक्त मानदेय भृत्य को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश प्रदान नहीं किया जायेगा।
- उक्त मानदेय भृत्य को प्रतिमाह 8500/- (आठ हजार पांच सौ रुपये मात्र) मानदेय प्रदान किया जायेगा। अनुपस्थिति रहने पर अनुपातिक कटौती किया जायेगा।
- इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 27.06.2026 तक संबंधित विद्यालय में स्व प्रमाणित दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 30.06.2026 तक मानदेय भृत्य का चयन कराकर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से देंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनांक 20/6 /2026

पृ.क्र./2321/स्थापना 2/2026-27/1

प्रतिलिपि :-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला कोरबा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
- जिला जनसंपर्क अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, जिला कोरबा को सूचनार्थ।
- संबंधित प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
कोरबा (छ.ग.)